न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 40/2017

अपीलांट्स– ***बनाम*** **रेस्पोडेंट –**

रावताराम पुत्र रूगनाथराम के कायम मुकाम
1. रेखाराम पुत्र रावताराम
2. चैनाराम पुत्र रावताराम
3. चिमाराम पुत्र रावताराम

जाति जाट निवासी बोला
तहसील व जिला बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक : राजस्व/2014/2181 दिनांक 09.07.2015 जो उत्तरदाता द्वारा अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 384/208 रकबा 29–13 बीघा में से 01–00 बीघा समर्पण स्वीकार करते हुए पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री गंगाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री सोहनलाल दवे, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13/11/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के समर्पण हेतु पारित आदेश दिनांक 09.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा बोला के खसरा नम्बर 384/208 रकबा 29–13 बीघा के खातेदार रावताराम पुत्र रूगनाथराम जाति जाट निवासी बोला ने प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2015 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा अनुसार सम्पूर्ण सहमति से 01–00 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने का निवेदन किया। पक्षकार की पहचान भू–अभिलेख निरीक्षक सुरा एवं सरपंच ग्राम पंचायत बोला द्वारा की गई तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्तुत की गई कि उक्त समर्पण की जाने वाली भूमि मौका पर खाली है व विवाद रहित हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार खातेदार के द्वारा प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2181 दिनांक 09.07.2015 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.07.2017 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मूल मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स के पिता स्व0 रावताराम से खातेदारी भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में कराये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही धोखे में रखकर, वृद्धावस्था, अनपढ़ता का बेजा इस्तेमाल करते हुए करवाई गई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर, उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती तथ्यों की भूल की गई है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समर्पण का इकरारनामा पर पारित आदेश काबिल अपास्त है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट के पिता रावताराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे से कोई हिस्सा समर्पण हेतु रेस्पोडेंट के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही समर्पण हेतु कोई कार्यवाही करने के लिए स्टाम्प वगैरह लिया है। आलौच्य कार्यवाही भू–अभिलेख निरीक्षक प्रेमदान ने खसरा नम्बर 385/208 के खातेदार जगराम पुत्र रूगनाथ वगैरह की साजिश का हिस्सा बनकर अपीलांट को धोखे मे रखकर कराई है। भू–अभिलेख निरीक्षक व जगराम पुत्र रूगनाथ व पुरखाराम नामक शक्स ने षडयन्त्र पूर्वक धोखे से अपीलांट को पेंशन या अन्य सरकारी सहायता का झांसा देकर अंगूठा करा लिये एवं उक्त समर्पण की कार्यवाही कराई गई हैं। अपीलाधीन समर्पण के लिए क्रय किया गया स्टाम्प अपीलांट के नाम से पुरखाराम नामक व्यक्ति द्वारा लिया गया है तथा जो फोटा स्टाम्प पर लगाया गया हैं वह किसी अन्य दस्तावेज से हटाकर लगाया गया है जिस पर "सेवक पदेन सचिव पंचाययत बोला बाड़मेर" की

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधूरी मोहर हैं तथा मोहर का शेष हिस्सा स्टाम्प पेपर पर अंकित नहीं हैं। इससे साफ जाहिर है कि समर्पण की कार्यवाही धोखे से फर्जीवाड़ा कर सम्पन्न कराई हैं। अपीलाधीन सम्पूर्ण कार्यवाही में हल्का पटवारी से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई हैं तथा समर्पण इकरारनामा के संलग्न नक्शा में अंकित स्थान पर कोई रास्ता नहीं हैं और न ही कभी रास्ता के रूप में उपयोग में रहा हैं, आज भी अपीलाकर्ता का ही कब्जा–काश्त हैं।

6. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलकर्ता के साथ षडयन्त्रपूर्वक धोखा करते हुए अंगूठा कराकर आलौच्य आदेश में वर्णित जमीन समर्पण कराई है जिसकी जानकारी तत्समय नही हुई थी। अर्सा पूर्ण हल्का पटवारी ने बताया कि आपके खेत के पश्चिमी तरफ सेढ़ा पर रास्ता सरकारी जमीन का हैं तब अपीलकर्ता ने पटवारी हल्का से जानकारी ली तो बताया कि तहसीलदार के आदेश से जमीन समर्पण है। इस पर तहसील कार्यालय से दिनांक 13.06.2017 को नकलें मांगी जो तैयार होकर दिनांक 28.06.2017 को प्राप्त होने पर उक्त आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ हैं तथा नकलें प्राप्त होने से अन्दर मयाद यह अपील पेश हैं। अपीलांट ने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया हैं किन्तु विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसमें उल्लेखित आधारों पर सद्भावित विलम्ब मानते हुए अपील अंदर मयाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमावें तथा अपीलाधीन आदेश अपास्त कर मौजा बोला के खसरा नम्बर 625/208 की समर्पित भूमि पुनः अपीलांट्स के खातेदारी में घोषित की जावें।

7. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट ने अपनी खातेदारी की कृषि जोत में से सम्पूर्ण सहमति से इकरारनामा पारित करते हुए तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर रास्ते हेतु भूमि का समर्पण स्वीकार किया हैं। इस हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर हल्का भू–अभिलेख निरीक्षण व सरपंच ग्राम पंचायत बोला द्वारा पहचान की गई हैं। अपीलांट ने तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष सम्पूर्ण रजामंदी प्रकट की गई थी, इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सपमर्ण आवेदन पत्र स्वीकार कर हल्का पटवारी को रेकर्ड मे अमलदरामद करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। प्रकरण में न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट में तहसीलदार बाड़मेर ने स्पष्ट अंकित किया हैं कि मौके पर भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा हैं। अपीलांट द्वारा अपने सम्पूर्ण विवके से बिना शर्त भूमि का समर्पण किया गया है, इसमे किसी प्रकार की कोई

जिला कलक्टर बाड़मेर

विधिक या प्रक्रियात्मक भूल नहीं की गई हैं। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है, जो खारिज फरमाई जावें।

8. हमने दोनो अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा बोला के खसरा नम्बर 384/208 रकबा 29–13 बीघा के खातेदार रावताराम पुत्र रूगनाथराम जाति जाट निवासी बोला ने प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2015 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा अनुसार सम्पूर्ण सहमति से 01–00 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने का निवेदन किया। पक्षकार की पहचान भू–अभिलेख निरीक्षक सुरा एवं सरपंच ग्राम पंचायत बोला द्वारा की गई तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उक्त समर्पण की जाने वाली भूमि मौका पर खाली है व विवाद रहित हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार खातेदार के द्वारा प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2181 दिनांक 09.07.2015 पारित किया गया। अपीलांट का कथन हैं कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही धोखे मे रखकर की गई हैं जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट स्वंय की उपस्थिति एवं पहचान अभिलेखीय तौर पर साबित हैं, ऐसे में यदि अपीलांट अनपढ़ था तो किसी कार्यवाही में उपस्थित होने पर उसे सक्षम अधिकारी से सम्पूर्ण पड़ताल करने के उपरांत की सहमति स्वरूप अंगुष्ठ निशान अंकित किये जाने चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से सम्पूर्ण कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न किया जाना स्पष्ट हैं तथा विवादित भूमि का मौके पर रास्ता के रूप में उपयोग होना तहसीलदार बाड़मेर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेखित किया हैं। जहां तक अपीलांट का कथन हैं कि समर्पण विलेख हेतु प्रयुक्त स्टाम्प पेपर व उस पर लगे फोटो उसके द्वारा नहीं लिये जाकर अन्य व्यक्ति द्वारा लाये गये हैं, कथन मानने योग्य नही हैं तथा समर्पण हेतु तहसीलदार के समक्ष खातेदार की व्यक्तिशः उपस्थिति पर्याप्त हैं। अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्य कि सम्पूर्ण कार्यवाही धोखे एवं दबाव की कराई गई हैं, किसी भी दशा में साबित नहीं हो रही हैं तथा वर्ष 2015 में भूमि समर्पण के पश्चात मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग होने के बाद भी वर्ष 2017 में अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता हैं। इस प्रकार अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.11.28 10:22:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: